346
03/7/20

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 277 / 2020 दिनांक 30 / 07 / 2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनॉक 30–07–2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनॉक 30.07.2020 से **ए0के0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, चन्द्रिका देवी रोड, बक्सी का तालाब, लखनऊ,** को **बैचलर आफ साइन्स इन नर्सिंग (बी0एस0–सी0 नर्सिंग) पाठ्यक्रम में कुल 40 सीट्स** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन **सत्र 2019–20 हेतु** सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तो को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्र / छात्राओं से लेगी तथा नर्सिंग कालेज में प्रवेश के माध्यम / विधि के सम्बन्ध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल / स्टेट मेडिकल फेकेल्टी व शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली / महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 एवं सचिव स्टेट मेडिकल फेकेल्टी तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सम्बद्धता मेडिकल, डेण्टल एवं नर्सिंग पाठयक्रमों / विषयों में एम0सी0आई0 / डी0सी0आई0 / आई0एन0सी0 / उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फेक्लटी व विश्वविद्यालय के समय–समय जारी होने वाले दिशा निदेर्शो के अधीन होगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र / छात्राओं की परीक्षा आई0एन0सी0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
10. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
12. संस्थान में विशिवद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों के कार्य प्रमाणक, उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही परीक्षा कार्य सम्पन्न कराया जाय।
13. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2.सचिव, स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ।
3.**ए0के0जी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, चन्द्रिका देवी रोड, बक्सी का तालाब, लखनऊ ।**
4.परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ।
5.निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6.प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित हे कि उक्त प्रति कालेज लॉग–इन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

उप–कुलसचिव
30/7/2020